

भारत शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

भारत

वृत्त भवन, भीमल-462004

कमांक-478/687/2020/20-3

भीमल, दि 09/17/2020

प्रति,

साधु

सी०बी०एस०ई०

बड़े दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था को सी०बी०एस०ई० बड़े दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देवे वाता।

राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय संस्था-एम०पी० कबूट स्कूल

Bari, जिला-राजसू, म०प्र० को सी०बी०एस०ई० बड़े दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

(1) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बॉर्ड से संबद्धता मिलने के

उपरांत भी मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की

मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।

(2) विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय की प्रबंधन समिति में सभागीय सचिव

स्वातंत्र्य, लोक शिक्षण तथा उनके द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि को

सदस्य के रूप में नामांकित करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैठकों

में शासकीय सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(3) संस्था द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रकिया तथा निष्ठा शिष्टक यथा-समय

प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शिष्टक लेने में पालन का शोषण नहीं

किया जायेगा।

(4) संस्था विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं

खेलकेंद्र कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल

का भौतल, छात्रवास भवन की सुविधा आदि आवश्यकता अनुसार उपलब्ध

करायेंगे। इस हेतु संस्था से वजन पत्र लिखा जाये।

(5) संस्था द्वारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान

मेलों आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भागीका प्रदान की

जायेगी।

(6) निःशुल्क छात्रों के लिये संस्था को रेशन की व्यवस्था करना आवश्यक

होगा। संस्था निःशुल्क छात्रों को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगी। इस

संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई जाये तो संस्था का अनापत्ति

प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक...2

- (7) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लाने वाले पुस्तक एवं लेखन सामग्री ख़ुले बाजार से कच कच की सिविधा रहेगी। किस्सी टुकान विशेष से कच करने की बाधता नहीं रहेगी।
- (8) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अर्जमति प्राप्त एवं वैध वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किसे जाले वाले वाहनों को किस्सी भी ऐसे चलनशील साधन जैसे एल0पी0जी0 आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
- (9) शिक्षण संस्था में मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत किचाराशील अतिन-शेमान यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जाएगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन भी कर्ना रहेगा।
- (10) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना
- (11) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा सामप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किस्सी पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी।
- (12) संस्था के संचालन में अतिव्ययिता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- (13) विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में प्रवेश के लिये बच्चे तथा माता-पिता अथवा अभिभावकों को किस्सी प्रकार भी प्रकार की स्वीकृति प्रकिया नहीं
- (14) संबंधित विद्यालय द्वारा तैयार शैक्षणिक/बैर-शैक्षणिक अमले की सेवा शर्तों को सत्य शासन के समझप होने की वाहिप के पालन न होने की स्थिति में संबंधित संभागीय संचालन संवाक, लोक शिक्षण आवश्यक कर्नावाही हेतु संक्षम होंगे।
- (15) संयक निरीक्षण के पश्चात एक बार मान्यता प्रदान कर दिये जाने पर संसाधनी/ट्रेस्ट मान्यता के समय सावाकृत किस्सी भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किस्सी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं, यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि संसाधनी/ट्रेस्ट किस्सी मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संचालन संवाक, लोक शिक्षण को मान्यता निवम, 2017 के नियम-11 के उप नियम-(1) में विनिर्दिष्ट प्रकिया का.....

अवसर पर कर्तव्य की भावना को बल प्रदान करने और प्रभावशाली
इस वाक्य को शक्ति देना।
उपरोक्त वाक्य का पाठ व कर्तव्य पर जोर देना अनिवार्य प्रमाण पर
निर्भर किया जा सकता है।

अस्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(क०क०वि०वे०)

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

आपाल, दि० ०९/७/२०२०

प्रतिलिपि:-

प० कमांक ४३९/६८७/२०२०/२०-३

(१) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केंद्र, म०प्र० आपाल।

(२) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० आपाल।

(३) सर्वजन संचालक, लोक शिक्षण सभाग म०प्र०

(४) जिला शिक्षा अधिकाारी, जिला-रायसेन, म०प्र०

(५) विशेष सहायक, मान० मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, आपाल।

(६) प्रचारक, अशासकीय संस्था-एम०पी० कान्ट स्कूल बारी, जिला-रायसेन,

म०प्र०

(७) फाउंडर प्रति

सर्वनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधोषिक्त।

(Handwritten signature and date)
४.२.२०२०

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

